

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1158/2024

मेसर्स एग्रेस वेंचर्स एलएलपी का पंजीकृत कार्यालय एफ-32, आजाद मार्ग, भाजपा कार्यालय के पीछे, सी-स्कीम, जयपुर 302001 राजस्थान में है, जो इसके अधिकृत प्रतिनिधि राजीव मिश्रा के माध्यम से संचालित होता है।

----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, सचिव वित्त, राजस्थान सरकार, सचिवालय, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर के माध्यम से।
- जिला स्तरीय स्क्रीनिंग समिति अपने सदस्य सचिव के माध्यम से, जिला उद्योग एवं वाणिज्य, केन्द्र जयपुर, कार्यालय 22 गोदाम, औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर।
- राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति, सदस्य सचिव के माध्यम से, जिला उद्योग एवं वाणिज्य, केन्द्र जयपुर, कार्यालय 22 गोदाम, औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर।

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए : श्री अनुरूप सिंघी

उत्तरदाता (ओं) के लिए :

माननीय श्रीमान जस्टिस अवनीश झिंगन

माननीय श्रीमती जस्टिस शुभा मेहता

आदेश16/02/2024अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):

- यह याचिका जिला स्तरीय स्क्रीनिंग समिति (संक्षेप में 'डीएलएससी') द्वारा स्टाम्प ड्यूटी छूट वापस लेने और ब्याज सहित शुल्क का भुगतान करने के लिए जारी किए गए कारण बताओ नोटिस (संक्षेप में 'एससीएन') से व्यथित होकर दायर की गई है।
- संक्षिप्त तथ्य यह है कि साई बाबा ने पलक बिल्डविजन से जयपुर मॉल में एक थिएटर खरीदा और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2019 (संक्षेप में आर.आई.पी.एस.) के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क में छूट के लिए आवेदन किया। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र ने 05.07.2022 को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया, शेष स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया गया। इसके बाद, साई बाबा ने

मल्टीप्लेक्स चलाने के लिए पीवीआर के साथ एक लीज डीड पर हस्ताक्षर किए। पीवीआर ने लीज डीड पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट का दावा किया; मामला राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति (संक्षेप में 'एस.एल.एस.सी.') के समक्ष अपील के लिए पहुँचा।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आक्षेपित एससीएन जारी करके, सुनवाई का अवसर दिए बिना ही छूट वापस ले ली गई है। उठाई गई शिकायत यह है कि एसएलएससी ने 09.05.2023 को आयोजित अपनी बैठक में पीवीआर द्वारा दायर अपील में याचिकाकर्ता के विरुद्ध टिप्पणी की थी और याचिकाकर्ता अपील कार्यवाही में पक्षकार नहीं था।

4. एससीएन जारी करने के विरुद्ध रिट याचिका दायर की गई है। बीएलओ ने अभी तक एससीएन का जवाब नहीं दिया है। आरआईपीएस, डीएलएससी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपीलीय उपाय का प्रावधान करता है। यह तर्क कि विवादित एससीएन के तहत छूट वापस ले ली गई है, गलत है। एससीएन को पढ़ने से यह भी पता नहीं चलता कि डीएलएससी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई कर रहा है। याचिकाकर्ता को कारण बताने का अवसर दिया गया है कि प्रोत्साहन योजना के नियमों और शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और यदि उल्लंघन स्वीकार किया जाता है तो प्राप्त छूट को ब्याज सहित जमा करने का अवसर दिया गया है।

5. उपरोक्त विवेचना के आलोक में, इस स्तर पर रिट क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है। रिट याचिका खारिज की जाती है।

6. कहने की आवश्यकता नहीं है कि, याचिकाकर्ता को सभी उपलब्ध तथ्यात्मक और कानूनी दलीलों को उठाते हुए, एससीएन का जवाब देने की स्वतंत्रता होगी। यदि एससीएन के अनुसरण में लिए गए निर्णय से कोई असहमति है, तो उसे कानून के अनुसार उपचार प्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी।

(शुभा मेहता),जे

(अवनीश झिंगन),जे

सिंपल कुमावत/04

रिपोर्ट करने योग्य है या नहीं: हाँ/नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निशपादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra

Advocate

